तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/6/18	उभयपक्ष के अभिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 27/6/2018 को पेश हो। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	
27/6/2018	उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं० 1 द्वारा अप्रार्थी सं० 2 द्वारा जारी पट्टे की आड में हमारी खातेदारी व रास्ते की भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है। रिपोर्ट में उक्त तथ्य स्पष्ट है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी सं० 1 व 3 के द्वारा निवेदन किया कि पंचायत के द्वारा विधिवत पट्टा दिया है उसी पर हमारा कब्जा होकर मौके पर विधिवत निर्माण किया जा रहा है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। हमने बहस के तथ्यों एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्रांक 288 दि० 18/6/2018 से प्राप्त रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शा व जमाबन्दी ग्राम भदालीखेड़ा की आ० नं० 646 रकबा 0.2403 हे० किस्म गैमु० रास्ता है जिसमें से उक्त रास्ते की भूमि तथा प्रार्थी की ग्राम भदालीखेड़ा की आ० नं० 641/1, 641/2, 641/3 खातेदारी भूमि में से कुछ भूमि ग्रा० पं० आरजिया द्वारा अप्रार्थी सं० 1 के नाम जारी पट्टे में शामिलित होना पाया जाता है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं० 1 को पट्टे की भूमि के उपयोग उपभोग का अधिकार नहीं रहता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दि० 6/6/2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के क्रम में मूल निगरानी के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भदालीखेड़ा की आ० नं० 641/1, 641/2, 641/3 व आ० नं० 646 की मौके की यथास्थिति कायम रखें। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मय मूल निगरानी के शामिल मिसल हो। जिला कलक्टर भीलवाड़ा	